# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

## आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या–17/2020

1. रीता देवी

बनाम्

1. जिला पदाधिकारी, सिवान।

---

**उपस्थिति/प्रतिनिधित्व** :–

**वादी की तरफ से** :–विद्वान अधिवक्ता, श्री मणीन्द्र कुमार ठाकुर एवं निरसु नारायण सिंह।

**सरकार की तरफ से** :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

## आदेश

**अनुसूची 14–फार्म संख्या–563**

| *आदेश की क्रम–संख्या और तारीख* | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | *आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ* |
|---|---|---|
| **20.09.2024**<br>**09.10.2024** | प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद, जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–08 (मु०)/प्रो० दिनांक–08.01.2020 द्वारा श्रीमती रीता देवी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, गोरेयाकोठी, जिला–सिवान को पद से चयन मुक्त किये जाने के आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।<br>प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय वस्तु यह है कि बाल विकास परियोजना, गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत–मुस्तफाबाद के अंतर्गत वार्ड सं०–04, 09 एवं 11, कर्णपुरा के वार्ड सं०–08 एवं 10 तथा सिसई के वार्ड सं०–07 एवं 09 में आँगनबाडी सेविका/सहायिका के चयन में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय जन–प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गयी थी। प्राप्त शिकायतों के आलोक में जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा जिला स्तरीय टीम का गठन करते हुए अपीलकर्त्ता श्रीमती रीता देवी द्वारा किये गये चयन की जांच करायी गयी। जाँचोपरांत उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में DPO (ICDS), सिवान के कार्यालय ज्ञापांक–1415 दिनांक–31.08.2018 द्वारा अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक–599/प्रो०, दिनांक–26.07.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता से पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा अपीलकर्त्ता से प्राप्त जवाब की समीक्षा जिला स्तर पर गठित त्रि–सदस्यीय टीम के द्वारा की गयी, | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिसमें अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत पत्रांक–08 (मु०)/प्रो०, दिनांक–08.01.2020 द्वारा विभागीय नियमों की अवहेलना करने तथा चयन में अनियमितता बरते जाने के आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आधार पर अपीलकर्त्ता को चयन मुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलवाद इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार पूर्वक सुना।

**अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता** के अनुसार अपीलकर्त्ता, श्रीमती रीता कुमारी, बाल विकास परियोजना, गोरेयाकोठी अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के पद पर कार्यरत थी। उक्त परियोजना अन्तर्गत ग्राम मुस्तफाबाद के वार्ड सं०–04, 09 एवं 11, ग्राम कर्णपुरा के वार्ड सं०–08 एवं 10 तथा ग्राम–सिसई के वार्ड सं०–07 एवं 09 में सेविका/सहायिका का चयन किया गया था। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कुछ स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा मैंपिंग पंजी में अनियमितता बरते जाने का आरोप अपीलकर्त्ता पर लगाया गया है, परन्तु अपीलकर्त्ता के विरूद्व मैपिंग पंजी तैयार करने में किसी प्रकार की अनियमितता बरते जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। इस क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि यदि अपीलकर्त्ता द्वारा मैंपिग पंजी तैयार करने में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती या विभागीय नियमों की अवहेलना की जाती तो उक्त वार्ड में चयनित सेविका/सहायिका का चयन भी अवश्य प्रभावित होता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उक्त बिन्दुओं पर विचार किये बिना जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा अपीलकर्त्ता को चयन मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

उक्त कथनों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

**विद्वान सरकारी अधिवक्ता** द्वारा अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता

WEB COPY NOT OFFICIAL

के विरूद्व मैपिंग पंजी तैयार करने में बरती गयी अनियमितता के बिन्दु पर प्रस्तुत स्पष्टीकरण की समीक्षा ADM, DDC, DPO (ICDS) की त्रि–सदस्यीय टीम द्वारा करायी गयी थी। समीक्षा के क्रम में अपीलकर्त्ता पर लगाये गये कुल–07 आरोप एवं उक्त के संबंध में जांचोपरांत मंतव्य निम्नानुसार हैः–

| पदस्थापित परियोजना | लगाये गये आरोप | स्पष्टीकरण का बिन्दुवार प्रतिवेदन | जाँच कमिटी का मंतव्य |
|---|---|---|---|
| गोरेयाकोठी | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वार्ड सं०–04 में मैपिंग पंजी में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। | पंजी में मुस्तफाबाद वार्ड सं०–04 में आरक्षण रोस्टर में अनुपालन मेरे द्वारा किया गया है। | महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में **मैपिंग से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है,** जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा मैपिंग पंजी में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |
| | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वार्ड सं०–09 में मैपिंग पंजी में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। | मैपिंग पंजी में कोटिवार या जातिवार किया गया है। | महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में **मैपिंग से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है,** जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि उनके द्वारा मैपिंग पंजी में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |
| | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वार्ड सं०–11 में मैपिंग त्रुटिपूर्ण है। | पंचायत मुस्तफाबाद वार्ड सं०–11 में मैपिंग पंजी में कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है। | महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में **मैपिंग से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है,** जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |
| | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत कर्णपुरा के वार्ड सं०–08 मैपिंग पंजी | मैपिंग पंजी पंचायत कर्णपुरा वार्ड सं०–08 सत्यापन नहीं हुआ। यह | महिला पर्यवेक्षिका का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |

WEB COPY NOT OFFICIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सत्यापित नहीं है। मैपिंग त्रुटिपूर्ण है। | मेरे द्वारा भूल हो गया है। | |
| गोरेयाकोठी | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत कर्णपुरा के वार्ड सं०–10 में मैपिंग पंजी त्रुटिपूर्ण है। | पंचायत कर्णपुरा वार्ड सं०–10 में मैपिंग में कोई त्रुटि नहीं हुआ है। | महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में **मैपिंग से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है,** जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा मैपिंग नियमानुसार किया गया है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |
| | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत सिसई के वार्ड सं०–07 में मैपिंग त्रुटिपूर्ण है। | पंचायत सिसई वार्ड सं०–07 में मैपिंग पंजी में कोई त्रुटि नही हुआ है। | महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में **मैपिंग से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है,** जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा मैपिंग नियमानुसार किया गया है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |
| | प्रखंड गोरेयाकोठी के ग्राम पंचायत सिसई के वार्ड सं०–09 में मैपिंग त्रुटिपूर्ण है। मेधा सूची अस्पष्ट है। | पंचायत सिसई वार्ड सं०–09 में मेरे द्वारा मैपिंग में कोई त्रुटि नहीं हुआ है। | महिला पर्यवेक्षिका ने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में **मैपिंग से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किया है,** जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा मैपिंग नियमानुसार किया गया है। इस बिन्दु पर इनका स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है। |

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जांच दल द्वारा अपीलकर्त्ता, श्रीमती रीता देवी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके चयन मुक्ति की अनुशंसा की गयी, जिसके आधार पर जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–08/मु०, प्रो०, दिनांक–08.01.2020 द्वारा अपीलकर्त्ता की

WEB COPY NOT OFFICIAL

संविदा समाप्त करते हुए उनके चयन मुक्ति का आदेश दिया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा अंत में कहा गया है कि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2019 के कंडिका–(2) जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ''***मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के पूर्व महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा इसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय/वार्ड/पंचायत कार्यालय/वार्ड आयुक्त/नगर निकाय/परिषद कार्यालय/अन्य सार्वजनिक स्थानों पर एक सप्ताह तक प्रकाशित किया जाएगा एवं आपत्तियों का निराकरण एक सप्ताह में करने के पश्चात उसे अंतिम रूप दिया जाएगा जिसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। मैपिंग पंजी में किसी परिवार के छूट जाने पर महिला पर्यवेक्षिका को जिम्मेवार माना जाएगा जिसके लिए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी''।*** के आलोक में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध मैपिंग पंजी तैयार करने में बरती गयी अनियमितता का आरोप प्रमाणित पाये जाने के आधार पर अपीलकर्त्ता के चयन मुक्ति का आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत् रखा जा सकता है।

**अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि** अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रखंड गोरेयाकोठी अन्तर्गत विभिन्न वार्डो में सेविका/सहायिका चयन हेतु तैयार किये गये मैपिंग पंजी में आरक्षण रोस्टर से संबंधित नियमों का समुचित अनुपालन नहीं किये जाने एवं त्रुटिपूर्ण मैपिंग पंजी तैयार करने के आरोप की जाँच जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा त्रि–सदस्यीय जाँच दल द्वारा करायी गयी थी। जाँच दल द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाये जाने तथा इस क्रम में अपीलकर्त्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य न पाते हुए उनके चयन मुक्ति की अनुशंसा की गयी है। मैपिंग पंजी ही आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन का आधार होती है, जिसके आधार पर वर्ग बहुलता निर्धारित होती है। इस प्रकार की गलतियों/त्रुटियों की वजह से चयन से संबंधित बहुत सारे वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं CWJC/MJC तक पहुँच जाते है। अतः यह एक गंभीर

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनियमितता है। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ भी आरोपों के खंडन में कोई साक्ष्य या मैपिंग पंजी संलग्न नहीं है। जिला पदाधिकारी, सिवान के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, डायरी संख्या–246, दिनांक–12.07.2019 के साथ भी अपीलकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य अथवा मैपिंग पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख के अवलोकन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सिवान को प्रेषित स्पष्टीकरण के जवाब दिनांक–13.03.2019 में अपीलकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि भूलवश उनके द्वारा मैपिंग पंजी का सत्यापन नहीं हुआ है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में भी अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि जिला पदाधिकारी, सिवान के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी त्रुटि को परिलक्षित किया गया हो या उसका खंडन किया जा सके। जिला पदाधिकारी, सिवान ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपीलकर्त्ता को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया एवं उनका पक्ष सुनकर साक्ष्यों के आधार पर मुखर आदेश पारित किया है।

उपरोक्त वर्णित कारणों से जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–08 (मु०)/प्रो० दिनांक–08.01.2020 द्वारा पारित आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत् रखा जाता है।

तदनुसार, **प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज** किया जाता है।

**आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।**

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

WEB COPY NOT OFFICIAL